



2026:AHC:15999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19759 वर्ष 2025

देवेंद्र प्रताप सिंह और 40 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : लवकुश सिंह, सौरभ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी और उनके साथ उपस्थित अधिवक्ता श्री लवकुश सिंह तथा राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी ने याचिका में निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 7, 19, 25, 31, 32, 35, 40 और 41 के संबंध में याचिका खारिज कर दी जाए और उन्हें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए तथा उन्हें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाए। याचिकाकर्ता संख्या 7, 19, 25, 31, 32, 35, 40 और 41 को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनका कहना है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिकाओं के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिकाओं का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि उन्हें प्रारंभ में वर्ष 1996 में अलग-अलग तिथियों पर कार्यशाला कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और 13.06.2001 को सहायक ऑपरेटर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 13.11.2014 को हेड ऑपरेटर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनका वेतन निर्धारण 23.11.2015 को निर्धारित किया गया था और परिणामी आदेश 18.11.2015 को पारित किए गए थे। 20.03.2018 को, दिनांक 20.03.2018 के आदेश द्वारा 4600 के ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण किया गया था। हालांकि, 23.01.2023 को एक आदेश पारित किया गया और वे एसीपी के लाभों के हकदार थे। यह प्रकरण रिट याचिका संख्या 3103 वर्ष 2023 में चुनौती का विषय था, जिसमें अंतरिम आदेश दिया गया था। हालांकि, उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अब 16.11.2025 को सूचना जारी कर याचिकाकर्ताओं से यह कारण बताने को कहा गया है कि उन्हें दिए गए लाभ क्यों वापस लिए जाएं। कुछ याचिकाकर्ताओं ने 30.11.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन अब प्रतिपक्षी द्वारा 19.11.2025 को पारित आदेश के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया है और परिणामी वसूली करने का निर्देश दिया गया है।

5. इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश किसी भी क्षण मान्य नहीं हो सकते, विशेषकर तब जब पूरी कार्रवाई याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे, उन्हें सूचित किए बिना, एकतरफा रूप से की गई हो। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई धोखाधड़ी, गलतबयानी या छिपाव नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** के फैसले का हवाला दिया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, एक बार गलती हो जाने पर नियोक्ता को उसकी भरपाई करने का अधिकार है। हालांकि, विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को सूचना दिया गया था या नहीं। उनका कहना है कि इस प्रकरण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही, उनका निवेदन है कि समन आदेश को रद्द कर दिया जाए और प्रकरण को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. जाहिर तौर पर, पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या नहीं।



10. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित आदेश याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे पारित किए गए हैं और यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का प्रकरण नहीं है।

11. **भगवान शुक्ला (पूर्व)**, में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल आधार 1970 से वेतन 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दीवानी दंड भुगतना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा वेतन में कटौती करने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दी गई और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी कर्मचारी को दीवानी दंड भुगतने के लिए मजबूर करने वाला कोई भी आदेश संबंधित व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसे प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

12. चूंकि उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए चुनौती दिए गए आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, इसलिए रिट याचिकाओं का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) तीसरे प्रतिपक्षी, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ के सहायक रेडियो अधिकारी (कार्मिक) द्वारा दिनांक 19.11.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।



(ख) याचिकाकर्ताओं को सूचना देने के बाद, प्रकरण को कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

13. याचिकाकर्ता उक्त सूचनाओं का उत्तर 13.02.2026 तक देंगे, और प्राधिकरण इसके बाद 31.03.2026 तक आदेश पारित करेगा।

14. 31.03.2026 तक रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

15. वर्तमान आदेश का लाभ केवल उन्हीं परिस्थितियों में उपलब्ध होगा जिनमें याचिकाकर्ता समयसीमा का पालन करते हैं, और यदि ऐसा होता है तो

किसी भी चूक की स्थिति में, न्यायालय के समक्ष परामर्श के बिना ही संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा।

16. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)